

फर्द अहकाम


(नियम 26)

मुकाम : रावतभाटा

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी
भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा

बनाम : श्याम सुन्दर सोनी

किस्म मुकदमा प्राथमिक पर नं० ॥ सन् २०२३

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
28 09 2024	<p>4. जैसा हुई... अतिप्राप्त हस्तक्षेप द्वारा ... 21.11.2023 को पेश की जावे अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.06.24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
3 06 24	<p>पत्रावली पेश हुई... 12.02.24 को पेश की जावे अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.06.24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
18 06 24	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारानु उपास्थित प्रार्थी ने प्रापत्र धारा-5 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रापत्र धारा-5 दिनांक 4/7/2024 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> S.D.O</p>	
4 07 24	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारानु उपास्थित प्रार्थी ने प्रापत्र धारा-5 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रापत्र धारा-5 दिनांक 01/08/2024 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> S.D.O</p>	
01 08 2024	<p>पत्रावली पेश हुई... अतिप्राप्त हस्तक्षेप द्वारा ... 01.08.24 को पेश की जावे। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.08.24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
06 08 2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग</p> <p><i>[Signature]</i> S.D.O</p>	

उन्वान : भूमिधारी लक्ष्मीदार साहब रावत भाय वनाम श्याम
शुण्डर सोनी

प्र.स . - 11/2023

धारा - 136 रा.सं.रे.ए.म्ट

अलग समय पर आवज लगाई गई वावजूद प्रार्थी
त वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपरिधत। अतः
न्यायालय में प्रकरण में प्रार्थी की ओर से उपरिधत
नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अदम
हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौजदारी शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्र से
कम की जाकर शामिल दफ्तार है।

